

10/19

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी
अनुपस्थित। उनको बक-बक कर लीन
ब्यार आवाजे लगाई गई परन्तु वे अनुपस्थित
रहे। अतः प्रस्तुत शब्दपत्र अदम दायरी
व अदम चैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली केसल शुमार होकर दायरी
दफ्तर हो।

६

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला भाखावाड़ (राज०)

